



2026:AHC:57355

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9447 / 2026

ईश्वरचंद्र उर्फ दरोगा

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

... विपक्षी पक्ष(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : अखिलेश कुमार द्विवेदी, स्नेहा सिंह

विपक्षी पक्ष(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार द्विवेदी व सुश्री स्नेहा सिंह, और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री रोशन कुमार सिंह को सुना गया तथा रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया।
2. विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना- कोतवाली, जिला- इटावा में पंजीकृत केस अपराध संख्या 250/2025 (धारा 420, 467, 468, 471, 504, 506 आई.पी.सी.) में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ वर्तमान जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोप के अनुसार, आवेदक ने नौकरी दिलाने के बदले प्रथम सूचनाकर्ता से 2,60,000/- रुपये प्राप्त किए हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक उक्त राशि उस व्यक्ति को वापस करने के लिए तैयार है जिसने इसे आवेदक के खाते में स्थानांतरित किया था। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वास्तव में यह राशि आवेदक द्वारा ऋण के रूप में ली गई थी जिसे वह वापस नहीं कर अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



सका था और अब वह 2,60,000/- रुपये की पूरी राशि स्थानांतरित कर देगा। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 30.01.2026 से जेल में निरुद्ध है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का कड़ा विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने के साथ-साथ **कपिल वधावन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह सुदृढ़ विचार है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपरोक्त केस अपराध में शामिल आवेदक- **ईश्वरचंद्र उर्फ दरोगा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक व्यक्तिगत बंध पत्र और समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा ताकि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/विवेचना में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक द्वारा निष्पादित बंध पत्र की शर्तों के अनुसार वह उपस्थित रहेगा।

v. आवेदक अपने वचन पत्र के अनुसार जेल से रिहा होने की तिथि से एक महीने की अवधि के भीतर संबंधित व्यक्ति को 2,60,000/- रुपये स्थानांतरित करेगा, जिससे उसने उक्त राशि प्राप्त की थी।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बंध पत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभुओं की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर इस वचन पत्र के साथ रिहा किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि **पॉलिसी स्ट्रैटेजी फॉर ग्रांट ऑफ बेल, संदर्भ : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021, (2024) 10 एससी 685 जो 31.01.2023 को निर्णीत हुआ**, में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल के माध्यम से संबंधित जेल अधीक्षक के जरिए आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजी जाए।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



19 मार्च, 2026

एस.सी.

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।